रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 478] नई दिल्ली शुक्रवार, नवम्बर 22, 1974/अग्रहायण 1, 1896

No. 478] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 22, 1974/AGRAHAYANA 1, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, 22nd November 1974

S.O. 671(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Kanpur Commodity Exchange Ltd., Kanpur, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year from the 27th November, 1974 to the 26th November, 1975 (both days inclusive), in respect of forward contracts in linseed.

2. The recognition hereby grants is subject to the condition that the said Exchange shall somply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[No. F. 12(18)-IT/74.]

K. RAMANUJAM, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति एंव सहकारी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1974

का० आ० 671 (अ).—केन्द्रीय सरकार अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन कानपुर कामोडिटी एक्सचेंज लि०, कानपुर, द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को लसी की अग्रिम संविदाओं के बारे में 27 नवम्बर, 1974 से लेकर 26 नवम्बर, 1975 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिये जायें ।

[सं० 12 (18)–आई० टी०/74]

के० रामानुजम, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW